पी0सी0एच0–एचबी(15)8/02–1 – 7780.
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

सेवा में

सचिव,
जिला परिषद कांगडा स्थित धर्मशाला,
जिला कांगडा हि0 प्र0।

शिमला–9 दिनांक 1 जनवरी फरवरी, 2019

विषयः– **पंचायत चौकीदारों को 60 वर्ष के बजाए 58 साल में ही कार्यभार मुक्त करने बारे।**

महोदय,

इस कार्यालय में प्रधान/महासचिव चौकीदार संघ हि0 प्र0 से उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 02.08.2018 प्राप्त हुआ है (प्रति संलग्न), के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि वित्त (विनियम) विभाग हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(सी)–ए(3) –2/2013–एल दिनांक 21.02.2018 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 10.05.2001 से पूर्व अंशकालीन/दैनिक वेतन आधार पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनका नियमितिकरण 10.05.2001 या इसके उपरांत हुआ हो ऐसे कर्मचारी 60 वर्ष पूर्ण करने की तिथि वाले मास की अंतिम तिथि को सेवानिवृत होगें। इस अधिसूचना के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच–एचबी(15)2003/जी0पी0 शिमला–12216–227 दिनांक 17.03.2018 (प्रति संलग्न) अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 10.05.2001 से पूर्व अंशकालीन/ दैनिक वेतन पर नियुक्त हुए है और 10.05.2001 या इसके उपरांत नियमित हुए है भी 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले मास की अंतिम तिथि को सेवानिवृत होगें।

अतः आपसे से अनुरोध है कि संबन्धित मामलों में यथानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

Smt. Arti
DPO

पृ0संख्या पी0सी0एच0–एचबी(15)8/02–1–7781–93 शिमला 9 दिनांक 1.2.19
प्रतिलिपीः–

1 समस्त सचिव जिला परिषद एवं जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को इस सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू।

2 श्री कुलदीप चंद प्रधान पंचायत चौकीदार संघ हि0 प्र0 को उनके प्रतिवेदन दिनांक 02.08.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ

अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश शिमला–9